

Sharad Kumar



1426



Atul Kumar  
03.02.23



V-Code-0088

भूमि का चिरस्थाई पट्टे का अन्तरण (द्वारा समनुदेशन) सहकारी  
निर्मित भवन का विक्रय पत्र

Transfer of Lease Deed

(By way of Assignment)

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • सम्पत्ति का प्रकार     | :- आवासीय मकान   |
| • वार्ड / परगना          | :- मुजफ्फरनगर  |
| • मौहल्ला / ग्राम        | :- मौहल्ला सुरेन्द्रनगर                                  |
| • क्षेत्र                | :- अर्द्धनगरीय   |
| • सम्पत्ति का विवरण      | :- प्लॉट नम्बरी 298 का भाग फेस-1                         |
| • रास्ते का प्रकार       | :- 9 मीटर चौड़ा  |
| • प्रतिफल                | :- अंकन 60,00,000 / -रुपये                               |
| • दिया गया स्टाम्प शुल्क | :- अंकन 6,45,000 / -रुपये                                |
| • भूखण्ड का क्षेत्रफल    | :- 162 वर्गमीटर  |
| • कवर्ड एरिया            | :- 167.71 वर्गमीटर                                       |
| • निर्माण दर कवर्ड एरिया | :- अंकन 14,000 / -रुपये प्रतिवर्गमीटर                    |
| • भूखण्ड की निर्धारित दर | :- अंकन 14,000 / -रुपये प्रतिवर्गमीटर                    |
| • लेखपत्र के साथ संलग्नक | :- पैन कार्ड / वोटर कार्ड<br>(विक्रेता, क्रेता व गवाहान) |

विवरण सम्पत्ति स्थित मौहल्ला सुरेन्द्रनगर Phase-I मुजफ्फरनगर परगना व  
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

Sharad Kumar



Atul Kumar





# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP23894306492170V	₹2,10,000
Certificate Issued Date	: 02-Feb-2023 02:27 PM	
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14137904/ MUZAFFARNAGAR/ UP-MJF	
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1413790441384154738631V	
Purchased by	: RAJNESH KUMAR TYAGI SO PREMCHAND	
Description of Document	: Article 23 Conveyance	
Property Description	: HOUSE SITUATED AT MOH-SURENDRA NAGAR MUZAFFARNAGAR	
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	: SHARAD KUMAR SO LATE RAVIDUTT SHARMA	
Second Party	: RAJNESH KUMAR TYAGI SO PREMCHAND	
Stamp Duty Paid By	: RAJNESH KUMAR TYAGI SO PREMCHAND	
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 2,10,000 (Two Lakh Ten Thousand only)	



सत्यमेव जयते



E-STAMP  
Locked By.....

IN-UP23894306492170V

Please write or type below this line

Sharad Kumar

Rajnish Kumar



JD 0014224592

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shicilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. in case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



मकान जो भूखण्ड संख्या 298 Phase-I पर निर्मित है। जिसकी पैमायश इस प्रकार है—

पैमायश		सीमाएं
पूरब	:- 18 मीटर	प्लाट नम्बर 297
पश्चिम	:- 18 मीटर	मकान पवन जैन जो प्लाट नम्बर 299 पर निर्मित है
उत्तर	:- 9 मीटर	रास्ता 9 मीटर चौडा
दक्षिण	:- 9 मीटर	प्लाट नम्बर 277

क्षेत्रफल 193.76 वर्गगज यानि 162 वर्गमीटर

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनो भारतीय नागरिक है।

पक्षगण के कथनानुसार सम्पत्ति निम्नलिखित शत्रु सम्पत्ति नही है।

सम्पत्ति उपरोक्त किसी सेगमेन्ट के अन्तर्गत स्थित नही है।

द्वितीय पक्ष सहकारी समिति का सदस्य है।

हमकि श्री शरद कुमार (Pan No. ANHPK4266C) (फोन नम्बर—9756200232) पुत्र स्वर्गीय श्री रविदत्त शर्मा निवासी मकान नम्बर 268 मौहल्ला ब्रह्मपुरी मुजफ्फरनगर (सदस्य आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर जिनकी समिति में सदस्यता संख्या 945 है) प्रथम पक्ष व श्री रजनेश कुमार त्यागी पुत्र श्री प्रेमचन्द (Pan No. BCRPK9494A) (फोन नम्बर—9761136213) निवासी ग्राम घिस्सूखेडा परगना चरथावल तहसील व जिला मुजफ्फरनगर (सदस्य आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 मुजफ्फरनगर) (सदस्यता संख्या 1528) द्वितीय पक्ष है।

प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष का तात्पर्य स्वयं उनसे तथा उनके उत्तराधिकारियों एवं ट्रान्सफरीज से है। प्रथम पक्ष ने आलोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0

-----  
Sharad Kumar



-----  
Rajneesh Kumar



आवेदन सं०: 202300708003700

पट्टाधिकार का अंतरण


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1426

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 6000000 स्टाम्प शुल्क- 645000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 60000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 60080

श्री शरद कुमार , *Sharad Kumar*  
पुत्र श्री रविदत्त शर्मा  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: 268, ब्रह्मपुरी तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/02/2023 एवं 12:34:53 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार .

उप निबंधक : सदर द्वितीय


मुजफ्फरनगर

03/02/2023

अमित कुमार गौतम

निबंधक लिपिक

03/02/2023



मुजफ्फरनगर (पंजीकरण संख्या 1210) मे एक प्लाट नम्बर 298 वाकै मौहल्ला सुरेन्द्रनगर फेस-1 मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर चिरस्थायी पट्टे के अन्तरण पर लिया हुआ है।

जो कि समिति उपरोक्त ने अपने सदस्यों की आवासीय मांग की आपूर्ति हेतु परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर ग्राम बीबीपुर के स्थित गाटा संख्या 1,2,4,8,9,10,11,12,13,16,20,21 व 22 मि0, ग्राम कूकडा स्थित गाटा संख्या 481, 485मि0, 497मि0, 498मि0 तथा ग्राम शेरनगर स्थित गाटा संख्या 15मि0, 16, 17, 18मि0 को उनके भूस्वामियों से क्रय किया तथा उक्त भूमि अब पूर्णतः समिति के स्वामित्व एवं कब्जे में है। इस भूमि को कॉलोनी का स्वरूप देकर, इसका नाम 'सुरेन्द्रनगर' रखा गया तथा इस हेतु भूखण्डों को तलपट मानचित्र (लेआउट प्लान) बनवा कर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकृत कराया गया। प्रत्येक सदस्य के लिये भूखण्डों का चयन सदस्यों की उपस्थिति में लाटरी पद्धति से किया गया।

प्रथम पक्ष ने समिति से उसकी आवासीय कॉलोनी सुरेन्द्र नगर मुजफ्फरनगर में अपना आवासीय भवन निर्माण करने हेतु प्लाट संख्या 298 फेस I चिरस्थाई पट्टे के अन्तरण पर लिया हुआ है। जिसकी ट्रान्सफर ऑफ लीज डीड दिनांक 21-02-2005 ई0 को बही नम्बर 1 की जिल्द 2430 के पृष्ठ 309/330 में क्रमांक 1904 पर दिनांक 25-02-2005 ई0 को कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर में रजिस्ट्री हुयी थी।

प्रथम पक्ष ने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर उक्त प्लाट पर अपना भवन निर्मित किया। अब प्रथम पक्ष उक्त प्लाट में निहित अपने चिरस्थायी पट्टे लीज के अधिकार तथा उस पर निर्मित भवन को समिति की विधि एवं नियमानुसार समिति के किसी अन्य सदस्य को हस्तान्तरित कर देना

Shrad Kumar



Suresh Kumar



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1426

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

अंतरण कर्ता: 1

श्री शरद कुमार, पुत्र श्री रविदत्त शर्मा

निवासी: 268, ब्रह्मपुरी तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर

व्यवसाय: अन्य

Shard Kumar

अंतरीति: 1



श्री रजनेश कुमार त्यागी, पुत्र श्री प्रेमचन्द


निवासी: ग्राम-घिस्सूखेड़ा तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर

व्यवसाय: नौकरी

Rajneesh Kumar

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1



श्री राहुल त्यागी, पुत्र श्री भूषण लाल त्यागी

निवासी: फ्रैंड्स कॉलोनी तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

Rahul



श्री अशोक कुमार त्यागी, पुत्र श्री अशोक कुमार त्यागी


निवासी: तुलसी नगर तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर

व्यवसाय: वकालत

Ashok Kumar

वे की मुद्राक्षत: भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार

दिष्पणा:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार .

उप निबंधक : सदर द्वितीय

मुजफ्फरनगर

03/02/2023

अमित कुमार गौतम

निबंधक लिपिक मुजफ्फरनगर

03/02/2023



चाहता है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त प्लाट सम्बन्धी प्रथम पक्ष के चिरस्थायी पट्टे लीज के अधिकार तथा उस पर निर्मित भवन को उक्त लीज डीड में उल्लेखित एवं समिति की प्रबन्ध कमैटी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित मुबलिग साठ लाख 60,00,000/- रूपये में हस्तान्तरण करने को सहमत है और समिति ने समिति की विधि एवं नियमानुसार प्रथम पक्ष को उक्त भूमि के सम्बन्धी अपने चिरस्थायी पट्टे के अधिकार हस्तान्तरित करने व द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से उक्त भूमि सम्बन्धी चिरस्थायी पट्टे के अधिकार प्रबन्ध कमैटी के अनुमति पत्र में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ लेने की अनुमति एवं अपने लीज के अधिकार को हस्तान्तरण करने के पश्चात् द्वितीय पक्ष को समिति का सीधा लैसी बनाने की सहमति दे दी है। उक्त अनुमति पत्र दिनांक 28-01-2023 ई0 इस लेखपत्र के साथ संलग्न है।

अतः अपने मस्तिष्क एवं इन्द्रियों की सही दशा में बिना किसी प्रभाव के प्रथम पक्ष ने उक्त प्लाट स्थित मौहल्ला सुरेन्द्र नगर मुजफ्फरनगर के चिरस्थायी पट्टे के लीज के अपने पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्ष को अंकन साठ लाख 60,00,000/- रूपये में निर्धारित शर्तों पर हस्तान्तरित कर दिये हैं और अंकन 60,00,000/- रूपये निम्न विवरणानुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये हैं और मौके पर द्वितीय पक्ष का अपने समान आधिपत्य करा दिया है और पक्षगण स्वेच्छा से मन बुद्धि व इन्द्रियों की सही दशा में स्वयं को तथा अपने-अपने उत्तराधिकारियों, ट्रान्सफरीज एवं सकसेसर्स को आबद्ध करते हैं :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष और उसके उत्तराधिकारी आलोक सहकारी आवास समिति लि0 मुजफ्फरनगर के नियमों से पाबन्द होंगे।
2. यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त प्लाट को चिरस्थायी पट्टे लीज के अपने पूर्ण अधिकार व उस पर निर्मित भवन को द्वितीय पक्ष को अंकन 60,00,000/- रूपये आधे जिसके तीस लाख अंकन 30,00,000/- रूपये होते हैं, में हस्तान्तरण/ विक्रय बाई वे ऑफ असाईनमेन्ट ट्रान्सफर कर दिये हैं और मौके पर अपने स्थान पर द्वितीय पक्ष का आधिपत्य करा दिया है।

-----  
Sharad Kumar



-----  
Suresh Kumar





3. यह कि कुल धनराशि निम्नविवरणानुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया है और मौके पर अपने स्थान पर द्वितीय पक्ष का आधिपत्य करा दिया है।
4. यह कि उपरोक्त **ट्रान्सफर ऑफ लीज डीड (बाई वे ऑफ असाईनमेन्ट)** के पश्चात् प्रथम पक्ष का **उपरोक्त प्लॉट व उस पर निर्मित भवन** से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है। अब उसका या उसके उत्तराधिकारियों का **उपरोक्त प्लॉट व उस पर निर्मित भवन** या समिति पर कोई क्लेम किसी प्रकार का नहीं रहा है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष अब सीधा समिति का चिरस्थायी पट्टेदार लैसी हो गया है और वह समिति के प्रति जिम्मेदार है और समिति की विधि नियम एवं प्रबन्ध कमैटी के निर्णयों व आदेशों का पालन करने के लिए स्वयं वह तथा उसके उत्तराधिकारी पूर्णतः पाबन्द है।
6. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लॉट में निर्मित भवन में कोई नाली, रोशनदान खिडकी छज्जा आदि पार्क या अन्य किसी भूखण्ड की ओर नहीं निकालेगा या खोलेगा तथा किसी प्रकार की कोई गन्दगी भवन के बाहर सड़क पर या पार्क पर या किसी अन्य भूखण्ड पर नहीं करेगा। मकान में आवागमन हेतु आवश्यक चौड़ाई से अधिक नाला या नाली पर अतिक्रमण नहीं करेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के नियमानुसार निर्माण करेगा और भवन निर्माण करने में समिति द्वारा आबंटित भूमि भाग (हर हदूदरबो) से अधिक अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा और समिति की जल सप्लाई लाईन पर मोटर पम्प (टुल्लू पम्प) इत्यादि नहीं लगायेगा व सार्वजनिक सड़क व सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुचायेगा तथा पशु इत्यादि पालने की दशा में उक्त पशु को समिति द्वारा आबंटित भूभाग के हदूदरबों में ही रखेगे किसी भी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग पशु इत्यादि के लिये नहीं करेंगे।
8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर केवल आवास निर्माण करेगा और इसका उपयोग केवल आवास प्रयोजन हेतु ही करेगा। भूखण्ड में बनाये गये भवन में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक संस्थान स्थापित नहीं करेगा।

-----  
*Sharad Kumar*



-----  
*Shyamsunder*



9. यह कि द्वितीय पक्ष या उसके उत्तराधिकारी उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये मकान को समिति की लिखित अनुमति के बिना किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगा। लिखित अनुमति के उपरान्त हस्तान्तरण या विक्रय के फलस्वरूप द्वितीय पक्ष भूखण्ड में जो शुद्ध लाभ अर्जित करेगा, उसका दस प्रतिशत समिति उक्त को अदा करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष लिखित अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को हस्तान्तरित करेगा तो यह चिरस्थाई पट्टा स्वतः रद्द माना जायेगा। लेकिन ऐसे हस्तान्तरण में केवल समिति का अनुमति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा तथा लेखपत्र पर समिति की ओर से निष्पादन अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड या उस पर बने मकान को सरकारी संस्थान, सहकारी संस्थान, आवास विकास परिषद, सहकारी बैंक, अनुसूचित निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान इत्यादि से कोई ऋण लेने के लिये या ऋण प्राप्त करने वाले गारन्टर के रूप में रहन रख सकता है अथवा बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान को मोरगेज आदि कर सकता है और इसके लिए समिति की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। वित्तीय संस्थानों को अपनी ऋण वसूली के लिए उक्त सम्पत्ति को बेचने की स्थिति में समिति से किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. यह कि यदि द्वितीय पक्ष उक्त प्लॉट या उस पर बने भवन को हस्तान्तरित करना चाहेगा तो उसको लेने का पहला अधिकार समिति को होगा। उस दशा में प्लॉट की लीज के अधिकारों का प्रतिदान वही होगा जो द्वितीय पक्ष ने इस डीड द्वारा प्रथम पक्ष को दिया है और निर्माण का यानि निर्मित भवन की लागत का मूल्यांकन कर लिया जायेगा। यदि उक्त समिति प्लॉट या उस पर निर्मित भवन को नहीं लेना चाहेगा तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष समिति की विधि एवं नियमों के अनुसार प्रबन्ध कमैटी की लिखित अनुमति प्राप्त करके या किसी अन्य सदस्य को उक्त प्लॉट एवं उस पर निर्मित होने वाले भवन को प्रबन्ध कमैटी द्वारा लगाये गये

-----  
*Shared Kumar*  
 -----



*Shared Kumar*  
 -----



प्रतिबन्धों के साथ नियमानुसार हस्तान्तरित कर सकेगा और हस्तान्तरण में अर्जित लाभ का दसवा भाग समिति को भुगतान करने का जिम्मेदार होगा। यदि द्वितीय पक्ष समिति की लिखित स्वीकृति के बिना उक्त प्लॉट या उस पर निर्मित मकान को हस्तान्तरित करेगा तो यह चिरस्थायी पट्टा/ट्रांसफर ऑफ लीज डीड स्वतः रद्द माना जायेगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त प्लॉट पर निर्मित भवन में कोई ऐसा किरायेदार नहीं रखेगा जिससे सुरेन्द्र नगर के निवासियों को या समिति को कोई असुविधा या हानि हो यदि वह ऐसा करेगा तो समिति को अधिकार होगा कि वह ऐसे किरायेदार से उक्त भवन खाली करा सके।

12. यह कि प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 21-09-2011 ई0 के अनुसार अब समिति की ओर से सचिव को ट्रांसफर ऑफ लीज डीड पर निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र ट्रांसफर ऑफ लीज डीड का भाग रहेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष सुरेन्द्रनगर में शान्ति, अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने में प्रबन्ध कमेटी से पूर्ण सहयोग करेगा और विहार के उत्थान एवं विकास के लिए प्रबन्धक कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन करेगा।


अतः यह **Transfer of Lease Deed (By way of Assignment)** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें। इति।

**विवरण प्राप्ति धनराशि**— द्वितीय पक्ष ने कुल धनराशि अंकन 58,00,000 /—रूपयें द्वारा डिमांड ड्राफ्ट नम्बर 916047 दिनांक 02-02-2023 ई0 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा अलीगढ व अंकन 2,00,000 /—रूपयें द्वारा बैंक नम्बर 582376 दिनांक 05-11-2022 ई0 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैन ब्रांच अलीगढ अदा कर दी है। विक्रित सम्पत्ति की बाबत टी0डी0एस0 जमा करा दिया गया है, जिसका चालान दस्तावेज हाजा के साथ संलग्न है। इस प्रकार अब प्रथम पक्ष की कोई धनराशि द्वितीय पक्ष की ओर बाकि नहीं रही है।

-----  
Sharad Kumar



-----  
Signature



विवरण सम्पत्ति स्थित मौहल्ला सुरेन्द्रनगर Phase-I मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर :-

मकान जो भूखण्ड संख्या 298 Phase-I पर निर्मित है। जिसकी पैमायश इस प्रकार है-

पैमायश

सीमाएं

पूरब :- 18 मीटर

प्लाट नम्बर 297

पश्चिम :- 18 मीटर

मकान पवन जैन जो

प्लाट नम्बर 299 पर निर्मित है

उत्तर :- 9 मीटर

रास्ता 9 मीटर चौडा

दक्षिण :- 9 मीटर

प्लाट नम्बर 277

**क्षेत्रफल 193.76 वर्गगज यानि 162 वर्गमीटर**

नोट- उक्त समिति का पंजीकरण संख्या 1210 (एक हजार दो सौ दस) जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त प्लाट ग्राम कूकडा के खसरा नम्बर 485 में स्थित है। पक्षगण का अनुबन्ध अंकन 60,00,000/-रुपये में है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि लेखपत्र द्वारा भूमि का ट्रांसफर ऑफ लीज डीड तथा निर्माण का विक्रय किया गया है। इस क्षेत्र में कलेक्टर मूल्य सूची का सर्किल रेट अंकन 14,000/-रुपये प्रतिवर्गमीटर के अनुसार भूमि की मालियत अंकन 22,68,000/-रुपये होती है। जिसका प्रतिफल अंकन 30,00,000/-रुपये है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अंकन 4,35,000/-रुपये अदा किया गया है तथा उक्त प्लाट पर निर्मित भवन का कवर्ड एरिया 167.71 वर्गमीटर है जो आर0सी0सी0 के छपाव एवं साधारण फर्श का लगभग 15 वर्ष पुराना निर्मित है। जिसकी मालियत निर्धारित दर अंकन 14,000/-रुपये प्रतिवर्गमीटर के अनुसार अंकन 23,47,940/-रुपये होती है। जिसका प्रतिफल अंकन 30,00,000/-रुपये है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अंकन 2,10,000/-रुपये अदा किया है।

-----  
Sharad Kumar



-----  
Suresh Kumar




इस प्रकार कुल स्टाम्प शुल्क अंकन 6,45,000/-रूपये अदा किया है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आज तक के समस्त देनदारी, टैक्सेज आदि को जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की है तथा आज के बाद की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

Sharad Kumar



[Signature]




साक्षी

[Signature]  
03/02/2023

साक्षी

[Signature]  
03/02/23

ANHUL TYAGI  
SH. BHUSHAN LAL TYAGI  
H.NO-52/3C FRIENDS  
COLONY MUZAFFARNAGAR  
PIN-25101



तहरीर तारीख :- 03-02-2023 ई0

ड्राफ्टकर्ता:- आशुतोष त्यागी एडवोकेट

चैम्बर नम्बर 12 तहसील सदर मुजफ्फरनगर

[Signature]  
03/02/2023


AREA C  
TOTAL L  
FLOOR CO  
MUNITY C




**AREA CHART**

TOTAL LAND AREA = 162.00 SQ.M.  
 G.FLOOR COVD.AREA = 147.30 Q.M  
 MUMTY COVD.AREA = 20.41 Q.M  
 TOTAL COVD.AREA = 167.71 Q.M  
 (R.C.C.ROOF & SIMPLE FLOOR)

PLOT NO.277




**ROAD 9M WIDE  
G.FLOOR PLAN**




**KEY PLAN**

*Sharad Kumar*

HOUSE OF SH. PAWAN JAIN



**MUMTY PLAN**



HOUSE PLAN OF SH.SHARAD KUMAR S/O LATE SH. RAVIDUTT SHARMA SITE AT PLOT NO.298 PHASE 1st MOH.SURENDAR NAGAR MUZAFFARNAGAR

DRWN BY *[Signature]* PANKAJ JI

**HOMESIGHT ASSOCIATES**

SHOP NO. 101, 1ST FLOOR, PALIKA BAZAR, AVIR CHOWK, MUZAFFARNAGAR

MR. PANKAJ KUMAR, 9811120222

ER. PANKAJ JI

**HOME SIGHT ASSOCIATES**

आवेदन सं०: 202300708003700

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9788 के पृष्ठ 367 से 388 तक क्रमांक  
1426 पर दिनांक 03/02/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राजेश कुमार .

उप निबंधक : सदर द्वितीय

मुजफ्फरनगर

03/02/2023





# आलोक सहकारी आवास समिति लिमिटेड

(पंजीकृत संख्या 1210)

34, प्रेम विहार, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)



दिनांक - 28-01-2023

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती शारद कुमार  
पुत्र/पत्नी स्व. श्री राधिका देवी शर्मा निवासी 268, ब्रह्मपुरी,  
मुजफ्फरनगर के नाम प्लॉट नं० 298  
फैस प.श.म. सुरेन्द्रनगर, मुजफ्फरनगर, परगना, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर आबंटित  
था तथा उनके नाम समिति ने चिर-स्थाई पट्टा दिनांक 25-02-2005 को किया हुआ था।  
अब उक्त श्री/श्रीमती शारद कुमार  
उपरोक्त प्लॉट को श्री/श्रीमती रजनीश कुमार लाम्गी पुत्र श्री प्रेमचन्द  
को हस्तान्तरित करना चाहते हैं जिसके लिये उपरोक्त श्री/श्रीमती शारद कुमार  
ने नियमानुसार ट्रांसफर फीस समिति में जमा कर दी है  
और उपरोक्त श्री/श्रीमती रजनीश कुमार लाम्गी पुत्र श्री प्रेमचन्द  
का समिति ने  
नियमानुसार सदस्यता शुल्क जमा कराकर अपना सदस्य बना लिया है। अब समिति उक्त को  
श्री/श्रीमती रजनीश कुमार लाम्गी  
के नाम प्लॉट के हस्तान्तरण किये जाने में कोई  
आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। प्रस्ताव सं० 7 दिनांक 21.09.2011 के अनुसार अब समिति  
की ओर से सचिव को ट्रांसफर ऑफ लीज पर निष्पादन की आवश्यकता नहीं है। उक्त अनापत्ति  
प्रमाण पत्र ट्रांसफर ऑफ लीज का भाग रहेगा।

इनकी सदस्यता संख्या 1528 है।

Pri  
सचिव / अध्यक्ष

आलोक सहकारी आवास समिति लि०,  
मुजफ्फरनगर।